राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–पं0नि0 30–96/2024 3387

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
नालन्दा।

पटना, दिनांक– 30.8.24

विषयः– प्रखण्ड चण्डी पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक 344 दिनांक 25.01.2024, CWJC No. 4215/2024 एवं CWJC No. 6073/2024 में दिनांक 19.08.2024 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 344 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा चण्डी प्रखंड के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 15.02.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया गया था।

2. उल्लेखनीय है कि **CWJC No. 2328/2024 में दिनांक 13.02.2024** को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए निर्वाचन को स्थगित कर दिया गया।

3. विदित हो कि उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में **CWJC No. 4215/2024 एवं CWJC No. 6073/2024** दाखिल किया गया जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.08.2024 को आदेश पारित करते हुए प्रखंड चण्डी के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन कराने का आदेश दिया गया है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन प्रखंड **चण्डी के प्रमुख एवं उप प्रमुख के रिक्त पद पर दिनांक 18.09.2024 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।**

5. कृपया प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु दिनांक **10.09.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

6. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **08.09.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, नालन्दा को भी दी जा रही है।

7. प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

8. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

9. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
30/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–96/2024– 3387 पटना, दिनांक – 30.8.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com